राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 07/21 प्रा० पत्र
1– श्रीमती बाली w/o गोपाल जाट निवासी- बावड़ी तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री मोहनलाल s/o श्री अमरचन्द जाट निवासी- उम्मेदपुरा त० माण्डल [कोरा]
(संलग्नित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 20.07.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ........बावड़ी........ पटवार हल्का ........बावड़ी........ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1312, 1313, 1518, 1314/1, 1315/1, 1316, 1317, 1318/1, 1635/1310 कुल किता – 08 रकबा 1.0118 बीघा हैक्टेयर ........ बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......07.01.21...... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

**प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत** धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ........बावड़ी........ **पटवार हल्का** ........बावड़ी,........ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1312, 1313, 1314/1, 1315/1, 1316, 1317, 1318/1, 1635/1310 कुल किता ........08........ रकबा 1.0118 ~~बीघा~~ हैक्टेयर ........ ~~बिस्वा~~ भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ......मेजा...... को ......400/–...... रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त ........ प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी ...... कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर ........ पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 07/21 प्रा० पत्र
1– श्रीमती बाली w/o गोपाल जाट निवासी- बावड़ी तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री मोहनलाल s/o श्री अमरचन्द जाट निवासी- उम्मेदपुरा त० माण्डल [कोरा]
(पृष्ठांकित प्रा० पत्र सलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 20.07.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........बावड़ी.........पटवार हल्का.........बावड़ी.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1312, 1313, 1518, 1314/1, 1315/1, 1316, 1317/1318/1, 1635/1319 कुल किता – 08 रकबा 1.0118 ~~बीघा~~ हैक्टेयर ~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.01.21 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बावड़ी पटवार हल्का बावड़ी, तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1312, 1313, 1314/1, 1315/1, 1316, 1317, 1318/1, 1635/1319 कुल किता 08 रकबा 1.0118 ~~बीघा~~ हैक्टेयर ~~बिस्वा~~ भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 400/– कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ... प्रार्थीगण मौके पर जमा रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर ... मौके ... कब्जे की यथास्थिति को बनाये करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में ... पर पत्थरगढी नही की रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर ... जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा